

स्वतंत्र प्रभात



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, रविवार, 28 जून 2026 वर्ष 14, अंक 80, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है, इसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है...03

ईरान ने सीजफायर का किया उल्लंघन...04

ना ट्रस्ट पर ट्रस्ट, ना एफआईआर पर भरोसा... चंदा चोरी केस ने खड़े किए सवाल, संतों में भी आक्रोश

● राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे ट्रस्ट, एस आई टी और एफआईआर की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. बैंक अधिकारी और ट्रस्ट पदाधिकारी जांच के घेरे में हैं

● चंपत राय और अनिल मिश्रा के इसीफे की पुष्टि हुई है, जिस पर 11 जुलाई को फैसला होगा. धीरे-धीरे शास्त्री सहित संतों और विपक्षी नेताओं ने भी इस हेराफेरी पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिससे यह मामला गहरा गया है

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर रोज नए राज, नए आरोप और नए सवाल सामने आ रहे हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि मंदिर के ट्रस्ट पर, एस आई टी की जांच पर और दर्ज एफ.आई.आर. पर भी सवाल उठ रहे हैं. ट्रस्ट पर किसी को अब ट्रस्ट नहीं रह गया है. वैसे जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है. अभियुक्तों से पूछताछ हो रही है. नई जानकारी सामने आ रही है. लेटेस्ट जानकारी के अनुसार बैंक के अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी जांच के दायरे में हैं. वहीं, चढ़ावा चोरी के पर्दाफाश के दो हफ्ते बाद एफ.आई.आर. दर्ज होती है. सवाल तो इस पर है कि उस एफ.आई.आर. की जानकारी भी अधूरी है तो बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कैसे होगी ये भी पूछा जा रहा है. आज चंपत

राय के इसीफे की पुष्टि हुई है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने इसीफे की पुष्टि की है. राम मंदिर ट्रस्ट ने लिखित बयान जारी कर ये बताया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इसीफा मिला है. हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसीफे को स्वीकार नहीं किया गया है. 11 जुलाई को चंपत राय के इसीफे पर फैसला 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इसीफे पर फैसला होगा. लिखित बयान में ये संदेश दिया गया है कि निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण जांच और रामभक्तों का विश्वास बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं. न्यास उन सभी श्रद्धालु भक्तों को आश्वासन करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं की सौंपी थी. ये सभी सुरक्षित हैं उनका पूरा लेखा-जोखा उपलब्ध है. सभी श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा भ्रामक और निराधार अफवाहों से बचने की सलाह भी दी गई है.

चंदा चोरी केस से संत भी खफा इसमें कोई शक नहीं है चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठे हैं. यहां तक कि कई संत भी इसका विरोध कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सनातनी नेतावनी की दी है. बात सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है. जबसे ये मामला सामने आया है. कई संत सवाल उठा रहे हैं. नेतावनी दे रहे हैं. सच सामने लाने की बात कह रहे हैं. इतना ही नहीं एस आई टी जांच, एफ आई आर और



कार्रवाई पर उन्हें भरोसा नहीं है. ये कहा जा रहा है कि मंदिरों में दखल खत्म होना चाहिए. नैतिकता तब होती जब चोरी साबित होने पर इसीफा दिया जाता राम मंदिर चढ़ावा में हेराफेरी वाले आरोपों और जांच के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आक्रामक बयान दिया है या फिर ये कहे कि सनातनी नेतावनी दी है.हाल में ही इंडोनेशिया के जकार्ता में एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने चढ़ावा चोरी करने वालों की तुलना रावण से की. ये कहा कि रावण ने तो माता सीता का हरण किया था. यहां आस्था और भरोसे का हरण हुआ है. बैंक अधिकारी और कर्माचारी भी जांच के दायरे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में प्रत्येक दिन नई जानकारी सामने आ रही है. ये पता है कि कैसे कैश की हेराफेरी होती थी. सूत्रों के अनुसार जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार जांच के दायरे में कुछ बैंक अधिकारी और कर्मचारी हैं. ये दावा किया गया है कि कुछ बैंक कर्मचारियों को नियमित हिस्सा दिया जा रहा था. मतलब सुनियोजित साजिश की तरह नेटवर्क बनाकर चोरी की जा रही थी. बताया तो ये भी जा रहा है कि कई बार बैंक

कर्मचारियों ने भी नकदी में हेरफेर की. एस आई टी उन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है. इतना ही नहीं पूरे मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है. कुछ पदाधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है. ये पता चला जा रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े कौन कौन पदाधिकारी थे जो इन लोगों से मिले हुए थे. यह सवाल है कि मामले की जांच कैसे की जा रही है...दो स्तरों जांच चल रही है.

कंपनी की जमीन पर बने इस 'अवैध निर्माण' को गरी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया. इस घटना से इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है

ईसीएल ने तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया के कथित कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है. कंपनी की जमीन पर बने इस 'अवैध निर्माण' को गरी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया. इस घटना से इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. ईसीएल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया के कथित कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया. इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि ईसीएल की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन और ईसीएल की टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौक पर पहुंची. इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान चपुई कोलियारी के फ्रंसोमू तिवारी और रानीगंज थाना अंतर्गत नीमचा फाडी की पुलिस उपस्थिति में टीएमसी कार्यालय के अंदर मौजूद फर्नीचर, सोफा और टेबल साथ लेकर चले गये. इसके बाद बुलडोजर ने भवन को जमींदोज कर दिया. कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए. टीएमसी नेता के अवैध कार्यालय पर चला बुलडोजर



स्थानीय भाजपा नेता संजय रईदास के अनुसार यह कार्यालय लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया के कथित कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया. इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि ईसीएल की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन और ईसीएल की टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौक पर पहुंची. इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान चपुई कोलियारी के फ्रंसोमू तिवारी और रानीगंज थाना अंतर्गत नीमचा फाडी की पुलिस उपस्थिति में टीएमसी कार्यालय के अंदर मौजूद फर्नीचर, सोफा और टेबल साथ लेकर चले गये. इसके बाद बुलडोजर ने भवन को जमींदोज कर दिया. कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए. टीएमसी नेता के अवैध कार्यालय पर चला बुलडोजर

संक्षिप्त खबरें

विधवा महिला पर समधी बना रहा कोर्ट मैरिज का दबाव, परेशान होकर आगरा पुलिस कमिश्नर से लगाई मदद की गुहार



अछनेरा (आगरा)। अछनेरा थाना के बड़ी बरती जाटवान निवासी एक विधवा महिला ओमवती देवी ने अपने समधी जगदीश शास्त्रीपुत्रम सिकंदर पर जबनर कोर्ट मैरिज का दबाव बनाने, अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी दिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2025 में उसने अपनी दोनों बेटियों का विवाह आगरा निवासी जगदीश के पुत्रों से किया था। आरोप है कि शादी के बाद से समधी उस पर गलत नीयत रखता है। मकान बेचकर उसके साथ रहने व कोर्ट मैरिज करने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर बेटियों का जीवन बर्बाद करने की धमकी दी गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि समधी की बेटियां भी मोबाइल पर धमकी दे रही हैं। पीड़िता ने अपनी और बेटियों की सुरक्षा की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

PNB की भद्रौली शाखा में सीबीआइ का छापा, रातभर खंगाले दस्तावेज

आगरा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की जैतपुर के भद्रौली बैंक शाखा में गुरुवार शाम को सीबीआइ की टीम ने छापा मारा। गाजियाबाद से पहुंची 12 सदस्यीय टीम ने बैंक के दस्तावेजों को खंगालने के साथ ही स्टाफ से कई घंटे तक पूछताछ की। शुक्रवार सुबह तक सीबीआइ की टीम ने बैंक में जांच पूरी की। कार्रवाई 16 घंटे तक चली। बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। छापा क्यों मारा गया? सीबीआइ ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। चर्चा है कि सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी में वित्तीय अनियमितता की जांच की गई। सीबीआइ की 12 सदस्यीय टीम गाजियाबाद से गुरुवार शाम चार बजे पीएनबी की भद्रौली शाखा पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से थाना पुलिस को बुलाकर बैंक के बाहर तैनात किया गया।

निर्दोष ने दुष्कर्म में काटी पांच साल जेल, पीड़िता की मां ने कोर्ट में बताया सच

● पीड़िता की मां ने बयान देकर कहा कि अपराध करने वाला यह नहीं कोई और है ● सबूतों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पावसो एवट पवन कुमार राय ने युवक को बरी कर दिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर ग्रामीण। दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को पांच साल तक जेल में बंद करना पड़ा, जबकि यह अपराध उसने नहीं किया था, पीड़िता की मां ने बयान देकर कहा कि अपराध करने वाला यह नहीं कोई और है, सबूतों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पावसो एवट पवन कुमार राय ने युवक को बरी कर दिया, साथ ही लापरवाही पर विवेचक और पर्यवेक्षण अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजा है कमिश्नर अंतर्गत थाना विधुन क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण जयंती विहार की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को 25 मई 2021 को विक्की नामक युवक ने पकड़ कर झाड़ियों

में ले गया था और पीटकर रूपए छीन लिए, पीड़िता ने घर पहुंचकर पिता को बताया तो उन्होंने बिधुन थाने में विक्की के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाकर पावसो एवट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। विवेचना बिधुन थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने की, इस दौरान अपराध करने वाला विक्की फरार हो गया, तो विवेचक ने गुड वर्क दिखाने के चक्कर में कैद में रहने वाले अमीन लायल को विक्की बना कर जेल भेज दिया। पीड़िता से तस्वीर भी नहीं कराया, अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके पिता संमत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपी के पिता और मां ने बयान दर्ज कराए। पीड़िता और उसके माता-पिता ने कोर्ट में कहा कि अपराध करने वाला विक्की उसके पड़ोस में रहता था। शादीशुदा था।

घटना के बाद वह भाग गया था, कुछ दिन बाद उसके बीवी बच्चे भी घर छोड़ कर चले गए थे। अमीन ने कोई अपराध नहीं किया है, पुलिस ने अमीन को गलत जेल भेजा। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमीन लायल, उप नाम विक्की को दोषमुक्त करार दिया। पीड़िता मां ने



बताया कि बेटी के साथ मारपीट हुई थी, रूपय छीने गए थे, लेकिन दुष्कर्म नहीं हुआ था। अपराध करने वाला विक्की उसके पड़ोस में रहता था, 35/40 साल के लगभग था, उसके बच्चे भी थे कठपेरे में खड़े अमीन को देख कर कहा कि यह विक्की नहीं है, और इसने मेरी बेटी के साथ कोई अपराध नहीं किया है, वहीं अमीन के पिता ने बयान में कहा कि घटना वाले दिन बेटा वनारस गया था। टिकट भी विवेचक को दिया था लेकिन उन्होंने फाइल कर फेंक दिया। जिन्हें विवेचक ने भी माना कि गिरफ्तारी के समय आरोपी की शिनाख्त नहीं किया है, पुलिस ने अमीन को गलत जेल भेजा। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमीन लायल, उप नाम विक्की को दोषमुक्त करार दिया। पीड़िता मां ने

रास्ता रोक महिला से गाली-गलौज

ललितपुर। थाना नाराहट क्षेत्र में एक महिला और उसके पुत्र का रास्ता रोककर गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर हुई बर्बाद जा रही है। पीड़िता ने आरोपियों के डर और दबाव के कारण तत्काल शिकायत नहीं की। घटना के 23 दिन बाद थाने पहुंचकर दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाराहट के ग्राम बनियाना निवासी कौशल्यानी पत्नी फूलचन्द्र ने बताया कि 2 जून 2026 को शाम करीब 5 बजे वह नाराहट स्थित बैंक से काम निपटाकर अपने पुत्र रौशन के साथ टीकमगढ़ जा रही थीं। रास्ते में मकरीपुर गांव से पहले स्थित भूसू की टाल के पास गांव के ही कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि नातीराजा एवं क्षेत्रपाल राजा पुत्रमण गजेन्द्र राजा धनराजा एवं नरेंद्र राजा पुत्रमण कल्लू राजा ने पुरानी मुकदमेबाजी को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने मां-बेटे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए।

जनपद बाराबंकी में सिरौली गूंग व अन्य ग्राम समूहों की बाढ़ से हुआ बचाव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में बहने वाली घाघरा नदी वर्षों से तीव्र कटान, बाढ़ तथा अनियमित जल प्रवाह के कारण आपासक के ग्रामों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई थी। विशेष रूप से ग्राम सिरौली गूंग एवं अन्य ग्राम समूह प्रतिवर्ष बाढ़ एवं कटान से प्रभावित होते रहे। किसानों की कृषि भूमि कट रही थी तथा ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का वातावरण बना रहता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2024 में इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु चौनेलाइजेशन द्वारा रिवर टेजिंग कार्य की परियोजना तैयार कराई और बाढ़ से कटान की सुरक्षा के लिए परियोजना बनवाकर कार्य शुरू कराया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी के दबाव को नियंत्रित कर गांवों, कृषि भूमि एवं तटबंधों को सुरक्षित करना था। जून 2025 में यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई और आज यह क्षेत्रीय सुरक्षा एवं तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट निर्माण कार्य बन चुकी है। पूर्व में घाघरा नदी की मुख्य धारा लगातार गांवों की ओर बढ़ रही थी। लगभग 12,000 की आबादी एवं 1600 घर बाढ़ और कटान

से प्रभावित हो रहे थे। कृषि भूमि का लगातार कटाव हो रहा था तथा कई परिवारों के सामने विस्थापन का संकट उत्पन्न हो गया था। इस समस्या के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ड्रेन सर्वेक्षण एवं तकनीकी अध्ययन के माध्यम से अत्यधिक कटान की पुष्टि की गई। इसके उपरांत प्रशासन एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कार्य योजना तैयार कर बाढ़ बचाव का कार्य किया। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के दबाव को प्रभावित ग्रामों से हटाकर नियंत्रित चैनल की ओर मोड़ना था। इसके अंतर्गत लगभग 3.8 किलोमीटर लंबाई एवं 45 मीटर चौड़ाई में चैनल निर्माण का कार्य किया गया। ड्रेजिंग कार्य हेतु अत्याधुनिक ड्रेजर मशीन, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर तथा मड पम्प का उपयोग किया गया। नदी की मुख्य धारा को सुरक्षित दिशा में मोड़ने के लिए जियोट्यूब एवं बल्लू पाइलिंग का उपयोग किया गया। ड्रेजिंग कार्य पूर्ण होने के बाद जियोट्यूब आधारित संरचनाओं द्वारा तटबंधों को मजबूत किया गया, जिससे नदी के दबाव को नियंत्रित करने एवं कृषि भूमि को कटान से सुरक्षित रखने में सहायता मिली। परियोजना को नेशनल फ्रेमवर्क फॉर रिवर

सेडिमेंट मैनेजमेंट-2022 एवं नियमों के अनुरूप पूर्ण किया गया है। घाघरा जैसी विशाल एवं तीव्र प्रवाह वाली नदी में कार्य करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। बदलते सर्वेक्षण एवं तकनीकी अध्ययन के माध्यम से धारा के बावजूद परियोजना टीम ने निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया। परियोजना के दौरान अत्याधुनिक ड्रेजर मशीनों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप चैनल की गहराई एवं चौड़ाई सुनिश्चित की गई। इस परियोजना के पूर्ण होने से 12000 की आबादी और 1600 से अधिक घर लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही 4500 हेक्टेयर की खेतीहारी भूमि सुरक्षित हुई है। इस परियोजना से जन-धन की हानि में कमी आई है तथा कृषि भूमि भी सुरक्षित हुई है। जून 2025 में यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण कर दी गई। मानसून के दौरान नदी की मुख्य धारा नियंत्रित चैनल में प्रवाहित हुई तथा कटान की गति में पहली बार राहत एवं सुरक्षा का अनुभव किया। वर्षों से बाढ़ एवं कटान से प्रभावित क्षेत्र अब अधिक सुरक्षित दिखाई देने लगे हैं। इसके निर्माण से कटान की समस्या में

बाढ़ से हुआ बचाव



उल्लेखनीय कमी आई, तटबंधों की मजबूती में वृद्धि हुई, कृषि भूमि एवं गांवों की सुरक्षा, नदी के प्रवाह मार्ग में सुधार आया, जल निकासी क्षमता में वृद्धि हुई और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना विकसित हुई है। जनपद बाराबंकी में सिरौली गूंग एवं अन्य ग्राम समूहों की सुरक्षा हेतु संचालित चौनेलाइजेशन द्वारा रिवर टेजिंग कार्य की परियोजना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीणों के जीवन, कृषि भूमि एवं भविष्य को सुरक्षित करने वाली ऐतिहासिक पहल सिद्ध हुई है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित यह परियोजना भविष्य में बाढ़ एवं कटान प्रबंधन की दिशा में प्रेरणादायक मॉडल के रूप में कार्य करेगी। अभिषेक सिंह

मुख्यमंत्री ने देवरिया को दी 456 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

● सोनूघाट-बरहज फोरलेन का शिलान्यास, बरहज को जलमार्ग से जोड़ने की घोषणा

देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बरांव में आयोजित जनसभा के दौरान बरहज और रदपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 456.38 करोड़ की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 264.94 करोड़ की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 391.44 करोड़ की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया महर्षि देवराहा बाबा और बाबा राघवदास की विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में सोनूघाट से बरहज तक लगभग 172 करोड़ की लागत से बनने वाली फोरलेन सड़क का शिलान्यास किया गया। साथ ही बरहज को जलमार्ग से जोड़ने की भी घोषणा की, जिससे स्थानीय व्यापार को नया विस्तार मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून-व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने युवाओं को रोजगार, किसानों को आधुनिक सुविधाएं और गरीबों को आवास, आयुष्मान कार्ड,



बिजली तथा पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम सूक्ष्म मुफ्त बिजली योजना अपनाते की भी अपील की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण-पत्र वितरित किए। जनसभा से पहले उन्होंने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा अन्नप्रश्न कार्यक्रम में भी भाग लिया। सभा को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भी संबोधित किया। उन्होंने सरकार की विकास योजनाओं, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आवास, सड़क, बिजली और किसान हितैषी कार्यक्रमों को प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही।

सीतापुर में घंटिया निर्माण पर ठेकेदार को नोटिस, कार्य न करने पर जलत होगी जमा धनराशि

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिधौली (सीतापुर)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत नगर पंचायत सिधौली में कराए जा रहे आरसीसी रोड व नाली निर्माण में घंटिया सामग्री के प्रयोग पर नगर पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। समय पर कार्य पूरा न करने और निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल करने पर मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। 12 लाख की लागत, फिर भी काम अधूरा वार्ड गांधीनगर दक्षिणी में हबीब के मकान से राघव मिश्रा के मकान तक आरसीसी रोड व नाली का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए आमंत्रित निविदा में मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी की दरें सर्वन्यून थीं। इसी आधार पर कंपनी को 29 फरवरी 2024 को लगभग 12 लाख रुपये



की लागत से कार्यदिश जारी किया गया था। जेई की जांच में खुली पोल नगर पंचायत के अवर अभियंता नवीन कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया तो निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। साथ ही दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि टेंडर मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम है, लेकिन मौके पर काम जवान सिंह कराते मिले।

महाराजगंज में सरकारी सुविधाओं से संवरी ग्रामीण महिलाओं की तकदीर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आज प्रदेश के गांवों में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे मजबूत माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वयं सहायता समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के विभिन्न उपरोप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से पूर्वांचल के सीमावर्ती जनपद महाराजगंज ने इस दिशा में शासन की मंशानुरूप उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर महिला सशक्तिकरण की एक नई और प्रेरक मिसाल देश-प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। महाराजगंज में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने बैंक क्रेडिट लिंकेज और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एनआरएलएम के अंतर्गत जिले में 5684 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 130.12 प्रतिशत है।

यह अभूतपूर्व उपलब्धि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ जमीनी स्तर पर अत्यंत प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं तथा ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक प्रगति की नई दिशात लख रही हैं। सरकार की इन दूरदर्शी योजनाओं से आज उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को केवल वित्तीय बचत और पारंपरिक दायरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें स्वरोजगार, कौशल विकास, आधुनिक बैंकिंग सुविधा, सुदृढ़ विपणन और तकनीकी सहायता से जोड़कर समग्र

विकास का एक अनूठ मॉडल तैयार किया है। महाराजगंज जनपद में इसके क्रांतिकारी परिणाम देखने को मिल रहे हैं। समूहों को समयबद्ध तरीके से बैंक ऋण रिवाॉल्विंग फंड मिलने से महिलाओं ने अनेक नवीन व स्वरोजगार आधारित सूक्ष्म उद्योग प्रारंभ किए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं केवल पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आधुनिक सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, अचार-मुरब्जा उत्पादन, पापड़-बढ़ी निर्माण, डेयरी उद्योग, उन्नत बकरी पालन, मुर्गी पालन, वैज्ञानिक पद्धति से सब्जी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा निर्माण, हस्तशिल्प, सौंदर्य उत्पाद निर्माण और ऑर्गेनिक खेती जैसे विविधीकृत एवं तकनीकी क्षेत्रों में पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं।

इससे न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि गांवों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिली है। इस पूरे तंत्र की सबसे बड़ी सफलता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में छोटे-छोटे उत्पादन केंद्र स्थापित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और रोजगार के लिए होने वाले पलायन में भारी कमी आई है। पूर्व में ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक संसाधनों की भारी कमी, बैंकिंग प्रणाली की जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाती थीं। परंतु आज प्रदेश सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं और जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से वही महिलाएँ संगठित होकर समूह बना रही हैं, बैंकों से संस्थागत ऋण ले रही हैं, बड़े पैमाने पर व्यवसाय चला रही हैं और समाज की अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

सरकार द्वारा संचालित 'लखपति दीदी' अभियान ने ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। महाराजगंज जनपद में अब

तक 50,179 महिलाएँ विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों से जुड़कर 'लखपति दीदी' बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा ग्रामीण समाज में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और उनकी मजबूत होती स्थिति का प्रत्यक्ष संकेत है। जनपद के मिटौरा विकासखंड में सर्वाधिक 6644 महिलाएँ लखपति दीदी बनी हैं, जबकि फरेंदा विकासखंड में 6375 महिलाएँ इस गौरवशाली श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। ये प्रगतिशील आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सही शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन यह दिशा में हो और प्रशासन का निरंतर सहयोग मिले, तो ग्रामीण महिलाएँ हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला समूहों को आधुनिक कृषि और पशुपालन से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया है। इसी क्रम में महाराजगंज में 548 कृषि सखियों और पशु सखियों का एक विशेष कार्यबल तैयार किया गया है। ये प्रशिक्षित महिलाएँ गांव-गांव जाकर समूहों से जुड़ी अन्य दीदियों को उन्नत खेती, जैविक कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और आय बढ़ाने के आधुनिक वैज्ञानिक उपाय सिखा रही हैं।

इस अभिनव पहल से महिलाओं को आधुनिक कृषि और पशुपालन से जोड़ने में वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने, कृषि लागत घटाने और कुल उत्पादन बढ़ाने में अभूतपूर्व मदद मिल रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत हुआ है। इसके साथ ही, महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की निर्बाध बिक्री सुनिश्चित करना भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद में 'शी माट' और 'प्रेरणा केंटीन' जैसे विशिष्ट प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं जो समूहों के उत्पादों को एक स्थायी

बाजार उपलब्ध कर रहे हैं। इन मंचों के माध्यम से समूहों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ, उत्कृष्ट हस्तशिल्प और घरेलू उपयोग की वस्तुएँ स्थानीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रही हैं। तकनीक के इस दौर में महिला उद्यमिता को नई उड़ान देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे कई समूह ऑनलाइन ऑर्डर लेकर सीधे देश भर के ग्राहकों तक अपने उत्पाद पहुंचा रहे हैं। डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के जरिए महिलाएँ मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मार्केटिंग के गुर सीख रही हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो गई है।

स्वयं सहायता समूह मॉडल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता यह है कि ग्रामीण महिलाएँ अब स्थानीय साहूकारों के चंगुल और उनके शोषण से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। पहले छोटी-मोटी पारिवारिक जरूरतों के लिए भी उन्हें ऊंचे व्याज पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिससे ग्रामीण परिवार कर्ज के दलदल में फंस जाते थे। अब समूहों के माध्यम से महिलाएँ नियमित बचत कर रही हैं, स्वयं बैंक खातों का संचालन कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर बेहद सस्ती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त कर रही हैं। इस बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव ने महिलाओं में अद्भुत वित्तीय अनुशासन, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म दिया है। ऋण वापसी का उनका शत-प्रतिशत बेहतर रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाएँ अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभा रही हैं।

महाराजगंज की इस अनुकरणीय सफलता में शासन की नीतियों और जिला प्रशासन के कुशल समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशासन ने समूहों को बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से धरातल पर सशक्त किया है। प्रशासन और विभिन्

वित्तीय संस्थाओं के आपसी तालमेल से समूहों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे महाराजगंज ने लक्ष्य से अधिक क्रेडिट लिंकिंग कर प्रदेश में शीर्ष स्थान बनाया। शासकीय व प्रशासनिक आयोजनों में भी समूहों के उत्पादों को वरीयता दी जा रही है, जिससे उनके स्वाभिमान को नया बल मिला है। राज्य सरकार की 'मिशन शक्ति' पहल ने ग्रामीण महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया है। आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ-साथ अब ये महिलाएँ सामाजिक निर्णयों, पंचायत बैठकों और विकास कार्यों की निगरानी में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जिससे लैंगिक समानता की दिशा में एक बेहद सकारात्मक संदेश गया है।

बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में भी व्यापक सुधार देखा जा रहा है। कई समूहों ने तो अपने विशिष्ट ब्रांड पारिवारिक जरूरतों के लिए भी उन्हें ऊंचे व्याज पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिससे ग्रामीण परिवार कर्ज के दलदल में फंस जाते थे। अब समूहों के माध्यम से महिलाएँ नियमित बचत कर रही हैं, स्वयं बैंक खातों का संचालन कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर बेहद सस्ती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त कर रही हैं। इस

बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव ने महिलाओं में अद्भुत वित्तीय अनुशासन, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म दिया है। ऋण वापसी का उनका शत-प्रतिशत बेहतर रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाएँ अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभा रही हैं।

महाराजगंज की इस अनुकरणीय सफलता में शासन की नीतियों और जिला प्रशासन के कुशल समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशासन ने समूहों को बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से धरातल पर सशक्त किया है। प्रशासन और विभिन्

जनपद महाराजगंज

सनातन संस्कार और संस्कृति को आहत करती राम मंदिर में दान संबंधी कथित अनियमितताएँ

भारत की सनातन संस्कृति केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, ईमानदारी, त्याग, सेवा, उत्तरदायित्व और लोककल्याण जैसे उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन-दर्शन है। इसी कारण सनातन परंपरा के मंदिर और आश्रम सदैव केवल आस्था के केंद्र नहीं रहे, बल्कि समाज में नैतिकता, शिक्षा, सेवा और सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणास्रोत भी रहे हैं। ऐसे में यदि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या के श्रीराम मंदिर से जुड़े दान अथवा वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक या कानूनी विषय नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा से भी जुड़ जाता है। वस्तुतः किसी भी धार्मिक संस्था पर वित्तीय अनियमितता का आरोप उसके अनुयायियों को स्वाभाविक रूप से व्यथित करता है।

अयोध्या का श्रीराम मंदिर सदियों के संघर्ष, असंख्य बलिदानों और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता, मर्यादा, न्याय और आत्मसम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब मंदिर में प्राप्त दान, चढ़ावे अथवा अन्य संसाधनों के प्रबंधन में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या गबन जैसी आशंकाएँ व्यक्त होती हैं, तो समाज में चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सनातन परंपरा में दान को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धापूर्वक दिया गया दान धर्म, पुण्य और लोककल्याण का साधन बनता है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान करता है, तो वह किसी व्यक्ति को नहीं,



बल्कि ईश्वर को समर्पित करता है। उसकी स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उस धन का उपयोग मंदिर के संरक्षण, व्यवस्था, धार्मिक गतिविधियों, सेवा कार्यों और समाज हित में पूर्ण ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। इसलिए यदि उसके दुरुपयोग की आशंका भी उत्पन्न होती है, तो वह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि श्रद्धा पर भी आघात होती है।

ऐसी घटनाओं का एक गंभीर दुष्परिणाम यह भी होता है कि समाज का एक वर्ग धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाने लगता है। दूसरी ओर, सनातन परंपरा के विरोधी तत्व कुछ व्यक्तियों की संभावित गलतियों को आधार बनाकर पूरे हिंदू समाज, उसकी धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक परंपरा को कटघरे में खड़ा करना का प्रयास करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल अनुचित है, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करता है।

यह समझना आवश्यक है कि किसी में यदि

कुछ व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करते हैं, तो उसका दोष पूरे धर्म, संस्कृति या करोड़ों श्रद्धालुओं पर नहीं थोपा जा सकता। जिस प्रकार किसी अस्पताल में भ्रष्टाचार होने से चिकित्सा विज्ञान दोषी नहीं हो जाता, उसी प्रकार किसी मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाने से सनातन धर्म या उसकी संस्कृति दोषी नहीं हो जाती। उत्तरदायित्व केवल उन व्यक्तियों का होता है जिन्होंने अनियमितता की है। अतः निष्पक्ष जांच के आधार पर दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं में जनता का विश्वास तभी बना रहेगा जब कानून के समक्ष किसी व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, जाति या राजनीतिक संबंध कोई संरक्षण न बन सके। वास्तव में सनातन संस्कृति स्वयं भ्रष्टाचार, छल और बेईमानी का विरोध करती है। भगवान श्रीराम का संपूर्ण जीवन सत्य, मर्यादा, न्याय और उत्तरदायित्व का आदर्श है। यदि कोई व्यक्ति श्रीराम के नाम पर प्राप्त दान का दुरुपयोग करता है, तो वह केवल कानून का ही नहीं,

बल्कि श्रीराम के आदर्शों का भी उल्लंघन करता है। इसलिए निष्पक्ष जांच, पूर्ण पारदर्शिता और दोषियों पर कठोर कार्रवाई ही वास्तविक धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य है।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि सभी धार्मिक संस्थाएँ आधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अपनाएँ। डिजिटल लेखा-जोखा, नियमित स्वतंत्र ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन दान प्रणाली, सर्वजनिक आय-व्यय विवरण तथा उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएँ न केवल पारदर्शिता बढ़ाएंगी, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को भी और अधिक सुदृढ़ करेंगी। धर्म की रक्षा केवल पूजा-अर्चना से नहीं, बल्कि ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्थाओं से भी होती है। अंततः मंदिरों की पवित्रता केवल उनके भव्य भवनों या स्थापत्य में नहीं, बल्कि उनके संचालन की नैतिकता और पारदर्शिता में निहित होती है। यदि कहीं किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि कुछ व्यक्तियों के कथित कृत्यों के आधार पर संपूर्ण सनातन संस्कृति, भगवान श्रीराम की मर्यादा अथवा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को कटघरे में न खड़ा किया जाए। सत्य, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय-यही वे आधार हैं जिन पर मंदिरों की गरिमा और सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा सदैव अशुण्ण रह सकती है।

प्रो. (डा.) मनमोहन प्रकाश

राम मंदिर चढ़ावा चोरी- आस्था पर लगा दाग और सवालों के घेरे में सिस्टम

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी ने सिर्फ़ पैसे की हेराफेरी का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा हमला है। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 8 लोगों के खिलाफ़ पहली FIR दर्ज कराई है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है इन चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर आंदोलन के बाद से अब तक पूरे देश के हिंदुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। लेकिन FIR के बाद भी सवाल खलख नहीं हुए। बल्कि नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हुआ था?

सीसीटीवी में साफ़ दिखा कि मंदिर के दानपात्रों से निकली नकदी की गिनती करने वाले कर्मचारी ही चोरी कर रहे थे। आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ़ टिन्नु यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे शामिल हैं। इनमें से छह कैशियर हैं। सुभाष श्रीवास्तव कार्टिंग इंचांज था। टिन्नु यादव का काम कैश की गिनती सुपरवाइज़ करके बैंक तक ले जाना था। यानी जिन पर भरोसा था, वही बेईमान निकले। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि 14,500 रुपए महीने की नौकरी करने वाले कर्मचारियों ने 5 साल में करोड़ों की संपत्ति बना ली। एक ने डेढ़ करोड़ की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख का प्लॉट लिया। शुरुआती अनुमान 200 करोड़ के घोटाले का है। एफआईआर दर्ज हुई, पर देर से क्यों? ट्रस्ट ने चोरी की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी बनवाई। 25 जून को एफआईआर हुई। यानी 12 दिन लग गए। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले भी दो कर्मचारियों को गुप्तचुप तरीके से पकड़ गया था। बिना एफआईआर के ही रिकवरी की जा रही थी। पुलिस ट्रस्ट के साथ मिलकर पूछताछ कर रही थी।

सवाल ये है: जब चोरी का शक था तो तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? क्या ट्रस्ट पहले अपने स्तर पर मामला दबाना चाहता था? बड़े नाम गायब क्यों हैं? एफआईआर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम नहीं है। लेकिन उनका ड्राइवर टिन्नु यादव आरोपी है। विपक्ष का आरोप है कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5) और 61 के

पत्नी-बच्चों संग तिरुपति पहुंचे नानी, भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद

साउथ सुपरस्टार नानी अपनी आने वाली फिल्म ‘द पैराडाइज़’ की रिलीज से पहले परिवार संग तिरुपति मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां उनकी सादगी की जमकर तारीफ़ हो रही है। फिल्म की रिलीज डेट 26 मार्च 2026 से बदलकर अब 21 अगस्त 2026 कर दी गई है।

साउथ के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘द पैराडाइज़’ को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म से उनका दमदार लुक सामने आया था, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। अब नानी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करते नजर आ रहे हैं।

परिवार के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में दिखे नानी

नानी अपनी फिल्म की रिलीज से पहले तिरुपति के मशहूर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। न्यूज़ एजेंसी आईएनएस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नानी कुलकुल सिंपल और ट्रेंडेशनल कपड़ों में बेहद शांत अंदाज़ में मंदिर परिसर में चलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही फैंस उन पर खूब प्यार बरसा रहे

तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें अक्रैद तक की सजा है। अगर टिन्नु यादव चोरी कर रहा था तो क्या चंपत राय को पता नहीं चला? या उन्होंने आंखें बंद कर लीं? एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट आने तक ये सवाल बना रहेगा। सिस्टम में खामी कहां थी? मंदिर के चढ़ावे की गिनती तीन स्तर पर होती है: 24 प्राइवेट कर्मचारी नोट गिनते हैं। 12 ट्रस्ट कर्मचारी निगरानी करते हैं। 14 SBI और TCS के ऑडिटर होते हैं। इतनी लेयर के बावजूद चोरी हो गई। जांच में सामने आया कि एक पदाधिकारी ने कैमरे लगाने का विरोध किया था। यानी सिस्टम में पारदर्शिता की कमी थी। CCTV था, पर निगरानी नहीं थी। ऑडिट था, पर भरोसा अंधा था। आगे क्या होना चाहिए? पहला, एसआईटी की जांच सिर्फ़ 8 आरोपियों तक सीमित न हो। पूरी चेन की जांच हो। किसके शािरे पर चोरी हुई, पैसा कहां गया, ये साफ़ होना चाहिए। CM योगी ने कहा है कि ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होगा। जनता यही उम्मीद कर रही है।

दूसरा, ट्रस्ट को अपनी वित्तीय व्यवस्था सर्वजनिक करनी होगी। हर महीने कितना चढ़ावा आया, कहां खर्च हुआ, इसका डिजिटल डिस्प्ले मंदिर परिसर में लगे। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह रियल टाइम अपडेट सिस्टम बने। तीसरा, कैश हैडलिंग खत्म हो। ऋक्रोड, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जितना कैश कम होगा, चोरी की गुंजाइश उतनी कम होगी। चौथा, ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधि बहाए जाएँ। अभी सिर्फ़ एक आईएएस अधिकारी है। CAG से सालाना ऑडिट अनिवार्य हो। राम मंदिर सिर्फ़ ईंट-पत्थर की इमारत नहीं है।

ये 500 साल के संघर्ष के बाद मिली आस्था की जीत है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो भाव देश ने देखा, वो अनमोल है। अगर चंद लोग उस आस्था को कैश कराने लेंगे तो मंदिर का मतलब खत्म हो जाएगा। FIR पहली कार्रवाई है, आखिरी नहीं। असली इम्तहान अब शुरू हुआ है - क्या ट्रस्ट दोषियों को सजा दिला पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो? क्या व्यवस्था बदलेगी ताकि फिर कोई टिन्नु यादव, लवकुश मिश्रा आस्था का सौदा न कर सके? जनता देख रही है। राम देख रहे हैं। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और लोगों के सवाल तब ही शांत होंगे जब इस पूरे मामले पय ठीक ढंग से पर्व उठेगा। फिलहाल उम्मीद है कि जांच सही दिशा में हो रही है।



हैं और उनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं। **बदल गई ‘द पैराडाइज़’ की रिलीज डेट** नानी की इस तिरुपति यात्रा को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द पैराडाइज़’ से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी क्रेज है। हालांकि, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया है। यह फिल्म पहले 26 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म 21 अगस्त 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

फिल्म की तगड़ी स्टार कास्ट ‘द पैराडाइज़’ एक बड़े स्कैल की फिल्म होने वाली है, जिसमें नानी के साथ-साथ इंस्ट्रूटी के कई शानदार एक्टर्स स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म की स्टार कास्ट में सोनाली कुलकर्णी, राघव जुयाल, कायानु लोहार, मोहन बाबू और ईश्वरी राव जैसे नाम शामिल हैं।

आपातकाल का काला सच लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार और कांग्रेस की ऐतिहासिक जिम्मेदारी

मेघ कल का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सौच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन कल आपकी वाणी और बुद्धिमान आपको सफलता दिलाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। किसी मित्र से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

कर्क भावनात्मक रूप से संतुलित रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कन्या कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा

फल मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला कल का दिन मूल रेंगेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिलेंगे। यात्रा का योग बन सकता है।

वृश्चिक धैर्य और संयम से काम लें।

किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। व्यापार में विस्तार की योजनाएँ सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं।

मकर करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ भाग्यवृद्धि का दिन है। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं।

मीन सावधानीपूर्वक निर्णय लें। अनावश्यक विवादों से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें।

आपातकाल का काला सच लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार

भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक गौरवशाली उपलब्धियों से भरा हुआ है, लेकिन इसी इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी दर्ज है जिसे देश आज भी पीड़ा और चिंता के साथ याद करता है। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर ऐसा प्रहार था जिसने संविधान की मूल भावना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गहरे संकट में डाल दिया। यह वह समय था जब सत्ता को सर्वोपरि मानते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, विपक्ष की आवाज दबाई गई, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और हजारों राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक बताया और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला था। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी और न्याय पाने का अधिकार देता है, लेकिन उस दौर में इन अधिकारों को लगभग समाप्त कर दिया गया। सरकार के विरोध में बोलना अपराध जैसा बन गया था। अखबारों को प्रकाशित होने से पहले सरकारी सेंसर की अनुमति लेनी पड़ती थी। समाचारों को रोक

जाता था और सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने के प्रयास हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन उस समय कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिनसे यह संदेश गया कि सरकार न्यायपालिका पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती है। लोकतंत्र में सत्ता के तीनों स्तंभों कमजोर किया गया, विपक्ष को अबाज दबाई गई, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और हजारों राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक बताया और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला था। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी और न्याय पाने का अधिकार देता है, लेकिन उस दौर में इन अधिकारों को लगभग समाप्त कर दिया गया। सरकार के विरोध में बोलना अपराध जैसा बन गया था। अखबारों को प्रकाशित होने से पहले सरकारी सेंसर की अनुमति लेनी पड़ती थी। समाचारों को रोक

जाता था और सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने के प्रयास हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन उस समय कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिनसे यह संदेश गया कि सरकार न्यायपालिका पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती है। लोकतंत्र में सत्ता के तीनों स्तंभों कमजोर किया गया, विपक्ष की आवाज दबाई गई, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और हजारों राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक बताया और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि आपातकाल ने उन अनगिनत नागरिकों के साहस को भी सामने लाया जिन्होंने चुप रहने के बजाय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वास्तव में भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। जेलों में बंद रहने वाले नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का संघर्ष भारतीय लोकतंत्र की अमूल्य विरासत बन गया।

सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस कांग्रेस के शासनकाल में यह सब हुआ, क्या वह इस इतिहास को स्वीकार करने का साहस दिखाती है। कांग्रेस आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व और उनके योगदान का उल्लेख करती है, लेकिन क्या वह

